

# न्यायालय भूमि सुधार उप-समाहर्ता सदर दरभंगा आदेश पत्रक



(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक- बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम 2009 के तहत  
सन्दर्भित वाद संख्या-90/2013-14

गायत्री देवी बनाम अवध किशोर यादव वगै०

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के वारे में टिप्पणी, तारीख-सहित
	<p>उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना तथा अभिलेख पर उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया।</p> <p>आवेदिका का दावा है कि इनके ससुर ने प्रश्नगत मुनिसिपल खेसरा नं० 18535 वार्ड नं० 18 नाका नं० 05 की भूमि चार दिनांक 02.03.1970 को श्रीमति मको देवी से बयनामा कराया तथा उसपर अपना पक्का का मकान बनाया।</p> <p>आवेदिका का कहना है कि वर्ष 1992 में विपक्षी किरायादार के रूप में रहने कि लिए आये और माहवारी 250 रू० देने लगे, इनके ससुर वर्ष 1996 में मर गये तब इन्होंने विपक्षी से किराया मांगा लेकिन विपक्षी नहीं दिये तथा इन्हें अब अपने बच्चों के साथ रहने में कठिनाई हो रही है तो इन्होंने विपक्षी को घर खाली कर देने का अनुरोध किया, लेकिन विपक्षी घर नहीं छोड़ रहे हैं और स्थल पर nuisance create करते हैं, आवेदिका ने न्यायालयीय प्रक्रिया द्वारा विपक्षीगण से घर खाली कराने का अनुरोध किया है।</p> <p>परन्तु विपक्षी का दावा है कि प्रश्नगत भूमि इनके पिता के द्वारा खरीदगी भूमि है जो इनके पिता ने इनकी माँ राजेश्वरी देवी के नाम दिनांक 02.03.1970 को केवाला कराया और उसपर पक्का का मकान बनाया जिसमें समस्त परिवार निवास करते हैं। इस प्रकार आवेदिका का दावा तथ्य परख नहीं है।</p> <p>उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने एवं प्रस्तुत कागजातों के अनुशीलन से विदित होता है कि आवेदिका द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज मको देवी बनाम राजेश्वर यादव एवं नागेश्वर यादव का दस्तावेज नं० 3616 वर्ष 1970 बुक नं० 1 भैलूम नं० 48 पेज नं० 105-107 है, जबकि विपक्षी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज मको देवी बनाम राजेश्वरी देवी जौजे- हृदय ना० यादव का दस्तावेज नं० 3615 वर्ष 1970 बुक नं० 1 भैलूम नं० 48 पेज नं० 102-104 है। राजेश्वरी देवी के नाम उक्त खरीदगी 04 धुर भूमि की जमाबंदी चलती है, वर्ष 2011-12 तक राजस्व भुगतान है, तथा नगर निगम दरभंगा से वर्ष 2009 तक होल्डींग टैक्स रसीद की छायाप्रति दाखिल है। दोनों दस्तावेज दिनांक 02.03.1970 का ही है जिसमें आवेदिका के दस्तावेज में जानिब पूरब उतर से 04 धुर दर्ज है तथा विपक्षी के माँ के दस्तावेज में जानिब पश्चिम उतर से 04 धुर दर्ज है। इस प्रकार आवेदिका का यह कहना</p>	

109/09/13

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख-सहित
	<p>कि "विपक्षी पूर्व से किरायेदार के रूप में इनके मकान में रहते चले आ रहे हैं तथा वर्ष 1996 में इनके ससुर के मरने के बाद विपक्षी किराया नहीं देते हैं तथा घर नहीं छोड़ रहे हैं" तर्क संगत प्रतीत नहीं होता है। साथ ही स्पष्ट होता है कि विपक्षी की माँ के नाम वाला बयनामा एवं आवेदिका के ससुर के नाम वाले बयनामा में चौहददी भिन्न-भिन्न है जो एक ही तिथि का है जिसमें आवेदिका के ससुर के नाम के दस्तावेज में जानिब पूरब उतर से 04 धुर दर्ज है तथा विपक्षी के माँ के नाम दस्तावेज में जानिब पश्चिम उतर से 04 धुर दर्ज है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि विपक्षी की माँ के नामवाली 04 धुर भूमि में उनका पक्का आवासीय मकान है जिसमें विपक्षी सपरिवार निवास करते हैं न कि आवेदिका के ससुर के किरायेदार है।</p> <p>उपर्युक्त विवेचनोपरान्त आवेदिका द्वारा प्रस्तुत वाद धारणीयता के प्रश्न पर ही पोषणीय प्रतीत नहीं होता है।</p> <p>अतः आवेदिका के अनुरोधावेदन को Maintainability ground पर खारिज किया जाता है।</p> <p>"अभिलेख संचिकास्त करें।"</p> <p>लेखापित एव शुद्धित    10/09/13  भू0 सु0 उप समाहर्ता  सदर, दरभंगा।</p> <p>भूमि सुधार उप समाहर्ता    10/09/13  भूमि सुधार उप समाहर्ता  सदर, दरभंगा।</p>	